

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 194 / 36-3-2014-07(न्यूवेवो) / 04
लखनऊ दिनांक : 28 जनवरी, 2014

335

A.O (अवतान)

- श्री जय शर्मा
तत्कालीन प्रशासकी
हैदराबाद से
- निरत शर्मा
- महेन्द्र शर्मा
श्री जय शर्मा
4/1/2014

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 401/36-3-06-7(न्यूवेवो)-04, लखनऊ, दिनांक 24, फरवरी, 2006 का अधिकरण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना संख्या-741/36-3-2011 दिनांक 30, जून, 2011 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवम् सुझावों पर विचार करने के पश्चात् और उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार नीचे परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों पर न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें निम्नवत् निर्धारित एवं पुनरीक्षित करते हैं:-

परिशिष्ट-एक में क्रमांक-01 से 58 तक उल्लिखित नियोजनों में मजदूरी की मूल दरें निम्नवत् होगी :-

क्रमांक	श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें
1.	अकुशल	₹ 5750.00 प्रतिमाह
2.	अर्द्धकुशल	₹ 6325.00 प्रतिमाह
3.	कुशल	₹ 7085.00 प्रतिमाह

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-59 पर अंकित नियोजन (ईंट-भट्ठा उद्योग नियोजन) में मजदूरी की मूल दरें निम्नवत् होंगी :-

क्रमांक	श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	अकुशल	₹ 5750.00 प्रतिमाह
2	कुशल	₹ 7085.00 प्रतिमाह
1	पथेरा	₹ 365.00 प्रतिहजार ईंट

2	भराईवाला	
	(1) 500 मी० तक (2) 500 मी० से अधिक	₹ 110.00 प्रतिहजार ईट ₹ 132.00 प्रतिहजार ईट
3	निकासीवाला	₹ 110.00 प्रतिहजार ईट

टिप्पणी- परिशिष्ट-1 के क्रमांक 01 से 59 तक के नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में वर्णित है।

2- परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता :

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 216 अंकों के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्राभावी करते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में क्रमशः पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवम् प्रश्नगत वर्ष के जनवरी से जून माह के औसत सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

दृष्टान्त :

जनवरी, 2013 से जून, 2013 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के कल्पित औसत अंक 226 पर संदेय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता की धनराशि निम्नलिखित होगी :-

$$\frac{(226 - 216)}{216} \times 5750 = ₹ 266.20$$

- 3- मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घण्टेवार मजदूरी की दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे, विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए, एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है तो उसे अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घण्टेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठें भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और उनका भुगतान उसी प्रकार किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निर्धारित किया गया है।
- 7- यदि कोई कार्य मात्रानुपाती दर पर किया/कराया जा रहा है तो ऐसे कार्य के लिए प्रत्याभूत दर वर्तमान निर्धारित कालानुपाती दर होगी।

- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 की धारा-13 की उपधारा(1) के खण्ड(ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित हैं।
- 9- यदि कोई नियोजक ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके या उसके बिना ठेका श्रमिक के माध्यम से नियोजन के किसी कार्य को कराता है तो ऐसा श्रमिक संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट-1947 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28 सन् 1947) की धारा-2 के खण्ड(झ) के उपखण्ड(चार) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-9 की दृष्टि से नियोजक द्वारा सीधे रखा गया श्रमिक समझा जायेगा और वह उन्हीं दरों पर मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा जो इस अधिसूचना के पैरा-1 और पैरा-2 के अधीन अनुमन्य करायी गयी है।
- 10- किशोरों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क्र 0	अनुसूचित नियोजन का नाम
1-	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग में नियोजन
2-	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग में नियोजन
3-	मिष्ठान उद्योग में नियोजन
4-	वासित पेयों(एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन
5-	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन
6-	परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग में नियोजन
7-	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन
8-	डेरी और मिल्क डेरी में नियोजन
9-	सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन
10-	बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन
11-	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है
12-	प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों उन्हें चाहें किसी भी नाम से पुकारा जाय, में नियोजन
13-	किसी ढलाई घर में नियोजन

14.	किसी धातु उद्योग में नियोजन
15.	टिन प्लेट रोपिंग और टिन प्रिंटिंग में नियोजन
16.	ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों, में नियोजन
17.	घर्म शोधनशाला और घर्म विनिर्माणशाला में नियोजन
18.	घर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग में नियोजन
19.	होजरी संकर्म में नियोजन
20.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन
21.	काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग में नियोजन
22.	(क) मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा संचालित किसी मदरसा, जहाँ विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जा रही है या नाममात्र की फीस ली जा रही है; (ख) किसी धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा संचालित किसी प्राइवेट विद्यालय, जहाँ विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जा रही है या नाममात्र की फीस ली जा रही है; (ग) उ०प्र० बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बाल वाड़ियों; और (घ) मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट विद्यालय, जिसे सरकार से सहायता मिल रही है, से भिन्न प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में नियोजन।
23.	तम्बाकू विनिर्माण में नियोजन
24.	धर्मशालाओं में नियोजन
25.	वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है, में नियोजन
26.	दुकानों में नियोजन
27.	वाणिज्य अधिष्ठानों में नियोजन
28.	चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
29.	तेल मिल में नियोजन
30.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
31.	यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन
32.	आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला में नियोजन
33.	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
34.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन
35.	चिकन के कार्य में नियोजन
36.	दियासलाई उद्योग में नियोजन
37.	आइसकैण्डी/आइस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन

38.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन
39.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन
40.	एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन
41.	लाण्डी और धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन
42.	जिल्दसाजी में नियोजन
43.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
44.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज में नियोजन
45.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन
46.	सिनेमा उद्योगों में नियोजन
47.	कपड़ा छपाई में नियोजन
48.	सिलाई उद्योग में नियोजन
49.	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेशियों में नियोजन
50.	क्लबों में नियोजन
51.	हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी कार्य में नियोजन
52.	कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण में नियोजन।
53.	ऊनी कंबल बनाने के अधिष्ठानों में नियोजन
54.	खाण्डसारी में नियोजन
55.	हथकरघा उद्योग में नियोजन
56.	शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन।
57.	छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् काँच उत्पादों के निर्माण (चश्मों के शीशे एवम् काँच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन
58.	कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग में नियोजन
59.	ईट भट्ठा उद्योगों में नियोजन

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 1 से 16) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल -

चपरासी, चौकीदार, पैकर, स्वीपर, मजदूर, अर्दली, लोडर, अनलोडर, हेल्पर, वाटरमैन, पल्लेदार, चारावाला, दाई, आया, वार्डब्याय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुराल-

मिक्सरमैन, मोल्डर, सहायक मशीन आपरेटर, कटर, जुड़ाई वाला, तौलकार, सहायक कारीगर (मिठाई), सीलर, लेबिलर, बॉटल जूस फिलर, फायर मैन, सहायक मशीन मैन, सहायक लोहार, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक फिटर, सहायक पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक, असिस्टेन्ट डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर्स, डिलीवरी मैन, पम्प अटेन्डेण्ट, फार्ममैन, टेस्टर, मिल्कमैन, मिल्क डिलीवरी मैन, प्रेसमैन, बटन लगाने वाला, काज बनाने वाला, तुरपाई वाला, नपाई वाला, बेलदार, नेट, ट्रेसर, माली, इन्जन ड्राइवर, सहायक आपरेटर, जुगाड़िया, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मैकेनिक मोल्डर, धिरैया, सहायक कम्पाउण्डर, पट्टी बांधने वाला, प्लास्टर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुराल-

आपरेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर, मिस्त्री, कारीगर, मशीनमैन, फिलर, मिक्सर, चैक फिटर, प्रेस आपरेटर, टर्नर, ब्यायलर अटेन्डेन्ट, सहायक क्वालिटी इन्सपेक्टर, इलेक्ट्रीशियन, सहायक फोरमैन, कटर डिजाइनर, दर्जी, जनरेटर आपरेटर, लोहार, बढई, इन्सपेक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, लैब टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, विनियर, मैचर, वेल्डर, डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर, हेड सुपरवाइजर, हेड इन्चार्ज, केमिस्ट, फोरमैन, क्वालिटी इन्सपेक्टर, डेरी इन्चार्ज, हेड डिजाइनर, फार्मेसिस्ट, क्लर्क, टाईपिस्ट, मुनीम, तकादगीर, विक्रयकर्ता, स्टोर कीपर लेखाकार कौशियर, आशुलिपिक, लेखालिपिक, क्रयकर्ता, सहायक टेलीफोन आपरेटर, बिल कटर, हेड एकाउण्टेण्ट, हेड मुनीम, हेड क्लर्क, हेड कौशियर, प्रधान विक्रयकर्ता, टेलीफोन आपरेटर, प्रधान क्रयकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 17 एवं 18) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में

श्रेणीकरण-

अकुशल -

रा-हैण्डलर्स, पिट्स, पैडिल्स और ड्रम कर्मकार, स्कडर्स, पाइलर्स, कुली, सफाईकार, चौकीदार चपरासी, स्प्रे प्लेटिंग, स्टेकिंग आदि जैसे स्वचालित मशीनों पर कार्य करने वाले कर्मकार, बोर्डिंग एवं टोगलिंग कर्मकार, वैक्यूम ड्रायर कर्मकार, हैल्पर्स (ब्यायलर इलेक्ट्रिकल्स, फिटर, बढईगीरी), सभी प्रकार के मशीनों के हेल्पर, पैकर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल-

मशीनों के आपरेटर (अनहेरिंग, प्लेशिंग, स्केडिंग, सेटिंग, समीड़ंग, बफिंग, जा-स्टकिंग, सेविंग, ग्लेजिंग, एम्बासिंग, प्लेटिंग प्रेस, पण्डुलम/रोलिंग, डेकिंग) हैण्डफ्लेशर, हैण्ड स्कोरर, हैण्डसेटर, हैण्ड ट्रिमार, मिस्त्री और पर्यवेक्षक और इसी

प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल—

स्प्लिटिंग मशीन आपरेटर, फिटर, विद्युतकार, लाइसेंस प्राप्त ब्वायलर अटेण्डेण्ट, टर्नर, बढई, मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, विक्रेता, उगाही, तगादगीर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, ज्येष्ठ विक्रेता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, विक्रय प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 19) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण—

अकुशल —

पैकर, हेल्पर, चपरासी, चौकीदार, मेहतर (स्वच्छकार), लेबलमैन, पानीवाला, माली और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल—

निटर, प्रेसमैन, कटर, वाइण्डर, वाशिंगमैन, बटन फासनर, गारमेण्ट चेकर, ब्लीचर, सहायक मशीन मैन, सहायक आपरेटर, नेट कटर, आयलमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल—

मास्टर, हेड मैकेनिक, सुपरवाइजर, फिटर, मशीनमैन, आपरेटर, मिस्त्री, दर्जी, मेण्डर, मास्टर, डिजाइनर, आटो मशीन साक-निटर, सीनियर एक्जामिनर, डायर्स, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक, टंकक, टेलीफोन आपरेटर, स्टोर कीपर, रोकड़िया, प्रधान लिपिक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोरकीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 20) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण—

अकुशल —

चपरासी, माली, चौकीदार, बुक लिफ्टर, स्वच्छकार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल—

जेनिटर, दफ्तरी और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जायें।

कुशल—

पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सीनियर कैटलागर, जूनियर कैटलागर, मैगजीन सहायक, एक्सेशन क्लर्क, कार्यालय अधीक्षक, पुस्तकालय सहायक,

आवान-प्रवान सहायक, पुस्तक प्रभारी, लिपिक, टंकक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 21) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल - माल ठोने वाला, पैकर, हेल्पर, चौकीदार, स्वच्छकार, मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल-

नक्कास (कार्वर), छिलाई करने वाले (इन्प्रवर), कटाई करने वाले (कटर) भराई कर्मचारी (इनले), बढई, (काष्ठ कर्म में) ड्रायर, फ्रन्टमैन, पॉलिशगर (काष्ठ नक्काशी के कार्य में) सहायक कटर, सहायक आयलमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल-

बढई (फर्नीचर बनाने के कार्य में), मिस्त्री, पॉलिशगर (फर्नीचर बनाने के कार्य में), पैटर्न मेकर, आरामिस्त्री, मशीनमैन (और ऐसे अन्य कुशल कर्मचारी जिन्हें पांच वर्ष से अधिक का कार्य का अनुभव हों, और जो नक्काशी करने, छिलाई करने आदि का अनुभव रखते हों तथा कुशल और अर्द्धकुशल कर्मचारों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हों), ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखालिपिक, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, ज्येष्ठ प्रधान मुन्शी, ज्येष्ठ सेल्समैन, प्रधान लिपिक, मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, लेखा लिपिक, टंकक, लिपिक, मुन्शी, सेल्समैन कनिष्ठ लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 22) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल - चपरासी, चौकीदार, रिक्शाचालक, माली, क्लीनर, बेलदार, मसालची, आया, बेयरा, केयर टेकर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल-

दफ्तरी, राजगीर (मैसन), रसोईया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल-

बस/ट्रक ड्राइवर, बढई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेन्ट, टेलर, नर्स, कम्पाउण्डर, लिपिक/टंकक, लाईब्रेरियन/कैशियर, कनिष्ठ लेखाकार, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रधान लिपिक, हेड कैशियर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 23) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल -

पैकर, स्टैम्पर, मार्कर, लोडर, अनलोडर, चपरासी, चौकीदार, मजदूर, स्वीपर, रिक्शा चालक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल-

तौलनेवाला, तम्बाकू मिलाने वाला, तम्बाकू छानने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य-कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल-

सुपरवाइजर, ड्राइवर (भारी गाड़ी), प्रधान मुनीम, प्रधान लिपिक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, ज्येष्ठ लिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रधान बिक्रीकर्ता, आशुलिपिक, लिपिक, मुनीम, लेखाकार, टंकक, ज्येष्ठ स्टोर कीपर, बिक्रीकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 24) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-**अकुशल -**

चपरासी, चौकीदार, रूम ब्वाय, हैल्पर, माली, कहार, जमादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल-

लेबर इंचार्ज, इलेक्ट्रीशियन, रसोइया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल-

एकाउण्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, लिपिक, टंकक, सहायक प्रबन्धक, सुपरवाइजर, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 25) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-**अकुशल -**

छटाई व गिराना, चिराई, छाल उतारना, बल्लियां बनाना, स्लेश मेकिंग, कन्धा दुलान (मुख्य गिरान), लादना (चिरी इमारती लकड़ी), उतारना (गोल व चिरी इमारती लकड़ी), बागान (जिसमें नर्सरी और वानिकी भी सम्मिलित है), लीसा छेदन में अकुशल कार्य, सड़क एवम् भवन निर्माण में अकुशल कार्य, औषधि जड़ी-बूटियों का संग्रह, बांस काटना, इमारती लकड़ी का रख-रखाव और चट्टा बनाना, जलौनी लकड़ी का रख-रखाव और चट्टा बनाना, साल के बीज संग्रह, तेंदू पत्तों का संग्रह और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुराल-

धिरान, कन्धा बुलान (छितरा गिरान) लाग स्लाइड, नाली बहान, खड्ड बहान, नदी बहान, लावना (गोल इमारती लकड़ी), लीसा छेवन में कुराल कार्य, सडक एवं भवन निर्माण में कुराल कार्य, जंगल धिरान फील्ड सायिंग और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 26 से 27) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुराल -पल्लेदार, पैकर, बण्डलर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुराल- गोडाउन कीपर, वेमैन, मिस्त्री, साईकिल मरम्मत करनेवाला, सोने और चांदी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुराल-

झाईवर, मशीनमैन, बढई, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, सोने व चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाईजर, केमिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर, मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, बिक्रीकर्ता, उगाही, तकादगीर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक बिक्री प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 28 से 29) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-**अकुराल:**

पैकर, कुली, स्टोरब्वाय, मजदूर, माली, प्रहरी, चौकीदार, द्वारपाल, चपरासी, सन्देशवाहक, स्टोरमैन, हेल्पर, बारदाना मैन, कोलमैन, घानीमैन, सफाईकार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुराल:

धोबी, ग्रुपिंगमैन, लाईनमैन, तकादगीर, प्रहरी प्रभारी, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

मिस्ट्री, रोलरमैन, सिल्कमैन, प्युरीफायरमैन, आयलमैन, एंगिलमैन, फिटर, टिनकार, बढई, टर्नर, ड्राईवर, विद्युतकार, विद्युत मिस्ट्री, मार्कमैन, पेस्टमैन, मशीनमैन, आपरेटर, तौलक (वेमन), सुपरवाइजर, ब्वायलर अटेण्डेन्ट, वेल्डर, पेन्टर, कोल्हूकटर, कोल्हू खरादी, पम्प अटेण्डेन्ट, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकर, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, बिक्री प्रतिनिधि, मुनीम, लेखाकर, कनिष्ठ लिपिक, डब्लू0आर0 क्लर्क, डिलीवरी क्लर्क, बिक्रीकर्ता, टाईमकीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 30 से 32) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-**अकुशल:**

अर्दली, चपरासी, भिस्ती, पानीवाला, चौकीदार, मजदूर, स्वच्छकार, सफाईकार, हज्जाम, मोची, चेम्बरसेवक, कोषागार चपरासी, स्टोर मजदूर, लदानवाला, गाड़ी की धुलाई करने वाला, कुली, आफिस ब्वाय, पेट्रोल पम्प अटेण्डेन्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

ग्राइन्डर, बोरिंगमैन, सहायक पेन्टर, रेडियेटर, रिपेयरर, वेल्डर, लोहार, सहायक फिटर, सहायक मैकेनिक, कन्डेक्टर, दफ्तरी, जमादार, बण्डल उठाने वाला, दफादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

सर्विसमैन, वर्कशाप सुपरवाइजर, मैकेनिक, ड्राईवर, टर्नर, पयूज इन्जेक्शन, पंचमैन, पेन्टर, फिटर, लेथमैन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, मिस्ट्री, गेटसार्जेन्ट, इलेक्ट्रीशियन, टिनकार, कम्पाउन्डर, पर्यवेक्षक सहायक स्टोरकीपर, बढई, बल्कनीकार, सोफासाज, यातायात अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, प्रबन्धक, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसियर, फोरमैन, हेडक्लर्क, आशुलिपिक, ज्येष्ठ लेखाकर, नक्शानवीश, गोडाउनकीपर, हेड रोकड़िया, स्टोरअधीक्षक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, लिपिक एवं टंकक, मेलामैन, लेखा लिपिक, बाह्य अभिकरण लिपिक, रोकड़िया, सहायक गोडाउन कीपर, अधीक्षक प्राप्ति और प्रेषण, स्टोरकीपर, प्रगति जांचकर्ता, स्टेशन इंचार्ज/मास्टर, यातायात निरीक्षक, प्रधान समयपाल और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 33 से 44) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुरुशल:

फायरमैन (साधारण भट्टी), स्लिन हाऊसवर्कर, फिटर (प्रसिंग और लगिंग को सम्मिलित करते हुये), ग्लेजर (डिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्ठे व अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चौकीदार, घपरासी, स्वीपर/स्क्रैपर, हेल्पर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लन्जर, सिव अटेंडेंट, ऐजीटेटर, मिक्सर, सलेण्डर मजदूर, मस्वी राइजर, अटेंडेंट, पम्प अटेंडेंट, मोल्ड मेकर, ट्रक यलीनर, ट्राली लोडर / अनलोडर, वाटर मैन, ब्रिक प्रेस अटेंडेंट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेंडेंट, स्टोर वेयर पाइप ब्रेकिंग एण्ड क्रसिंग अटेंडेंट, स्टोर वेयर पाइप प्रेस अटेंडेंट, स्टोर वेयर पाइप अटेंडेंट, मेट, ट्रेनी, फिनिशर और कास्टर, कन्वेयर, गेट मैन, हैंडिल मैन, पैकर, कुली, वाच मैन, कैश प्यून, सार्टर, काउण्टर ब्वाय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहें उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुरुशल

प्रेस मैन, धोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कारस्टिंग प्रोसेस पर धो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिशर, फायर मैन (टनल फर्नेस), हैड फायर मैन (साधारण भट्टी), कलर स्प्रेयर (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है), सहायक खरादी, सगर मैन, जार मैन, जिगर मैन, ज्याइनर, ऑयल मैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बढई, वायर मैन, कास्टर लेसर, पॉलिशर, ग्राइण्डर, ब्लॉक मेकर, सिलेण्डर अटेंडेंट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला पैकर, सहायक विद्युत् कार, किलन मैन, चेकर, पाइप कटर, ऑयलर, सहायक फोरमैन, विद्युत् कार का सहायक, आर्डर सप्लायर, बुक बाइण्डर, बाइण्डर, कटर, स्टिचर, दफ्तरी, कारीगर, दहइया, कलर मेकर, सीविंग मैन, हैमिंग मैन, कलैण्डर मैन, माल दिखाने वाला, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मशीन मैन, तौल करने वाला, दूध चीनी आदि मशीन में डालने वाला, मेकर, रोलर ड्राइवर, मिक्सर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुरुशल:

पॉटर (जो 4-5 लीटर से अधिक क्षमता के बर्तन बनाते हैं), डाई फिटर, टर्नर(लेथमैन), मोल्डर, डाई मेकर, कारपेन्टर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, मेशन, मोटर जनरेटर ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, पेपर मैन, पेन्टर, चाक वाला कुम्हार, फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, मोटर बाइण्डर, आटोमोबाइल्स ड्राइवर, शेपर मैन, सुपरवाइजर, हेड मिस्त्री, स्टोर इंचार्ज, हेड ब्वायलर मैन, डिजाइन मेकर, ब्लॉक मेकर, कोमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, अभियन्ता, मुख्य आपरेटर, फोरमैन, रफूगर, सर्वेयर प्लंबर, फ्रिजर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवं प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, आशुलिपिक, प्रधान बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, स्टीवर्ड, प्रधान स्टोर कीपर,

मुनीम, लेखाकार, लिपिक, कैशियर, बिक्रीकर्ता, तकादगीर, डिलीवरी क्लर्क, टाइमकीपर, टंकक, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 45) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

चपरासी, सफाई मजदूर, चौकीदार, मजदूर, पैकर, पेपर लिफ्टर, मशीन मैन का अकुशल सहायक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

सहायक संगसाज, सहायक मशीन मैन, पेपर मैन, कच्चा वाइण्डर, इंक मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राइण्डिंग मैन, पेपर कटर, ग्रेनर, कापी होल्डर, पेपर फीडर, सहायक कम्पोजीटर, करेक्टर, चेकर/इक्जॉमिनर, दफ्तरी और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

मशीन मैन, प्रेस मैन, पक्का बाइंडर, कंपोजीटर, डाईमेकर/कटर/प्रिंटर, ब्लॉक मेकर, प्रूफ मैन, बढई, स्टिचर, प्लेट प्रिंटर, प्रूफरीडर, विद्युतकार, लोहार, संगसाज, कास्टर-लाइनो/मोनो (वह कंपोजीटर जो हिन्दी और उर्दू दोनों में कंपोज करने की प्रवीणता रखता हो, 25 रु० प्रतिमाह के विशेष भत्ते का हकदार होगा जो उसकी मूल मजदूरी का भाग होगा), मशीन मैन (जो प्रत्येक स्वचालित सिलेण्डर मशीन चला सकता हो और 2, 3 एवं 4 प्रकार के रंग से काम कर सकता हो), कंपोजीटर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू टंकण का पर्याप्त ज्ञान हो और जो बैलेंस शीट, कैशमेमो, निमंत्रण-पत्र इत्यादि का काम कर सकता हो), ब्लॉक मेकर (जो हाफटोन ओर चार रंग के ब्लॉक बना सकता हो), डिजाईनर आर्टिस्ट, कैमरा मैन/आपरेटर/स्टिचर, आपरेटर लाइनो/मोनो, प्रूफ रीडर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू का पर्याप्त ज्ञान हो और शत-प्रतिशत प्रूफ कार्य कर सके), कास्टर (जो लाइनो/मोनो गोल्ड को ठीक कर सके और छोटी-मोटी मरम्मत कर सके), प्रधान रोकड़िया, प्रधान लेखाकार, आशुलिपिक, ज्येष्ठ विक्रेता, प्रधान लिपिक, रोकड़िया, लेखाकार, मुनीम, टंकक/लिपिक, स्टोर कीपर, टाइमकीपर, सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 46) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

कार्यालय चपरासी, चौकीदार, सफाई मजदूर, प्रचारक (पब्लिसिटी मैन) और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

लाईन मैन, द्वारपाल (गेटमैन), सहायक विद्युतकार या वायर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

वातानुकूल आपरेटर, जेनरेटर आपरेटर, पेन्टर, बढई इलेक्ट्रीशियन, मुख्य आपरेटर, रिवाइण्डर/आपरेटर, बुकिंग क्लर्क, लिपिक, टंकक, लेखाकार, रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 47) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

रंगने वाला, पैकिंग करने वाला, छपाई करने वाला, चौकीदार, चपरासी, पानीवाला, वियोतिनी वाला, धुलाई वाला, प्रेस वाला, हेल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

दहइया, रंग बनाने वाला, सिलाई करने वाला, गोट लगाने वाला, कलेण्डर वाला, माल दिखाने वाला, बढई, फिटर, ड्राईवर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

डिजाइन बनाने वाला, ब्लाक बनाने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, ठिकाइया (रेखा डालने वाला), ब्यालर मैन, सुपरवाइजर, फोरमैन, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, छपाई वाला, प्रधान लेखाकार, प्रधान, प्रधान मुनीम, प्रधान रोकड़िया, लिपिक, मुनीम, तकादगीर, रोकड़िया, टंकक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 48) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

सफाईकार, पैकर, चपरासी, लोहा गरम करने वाला, हेल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल

बटन लगाने वाला, काज तैयार करने वाले व्यक्ति, दर्जी का हेल्पर, पायजामा/साधारण कुर्ता/अण्डर वियर सिलने का कार्य करने वाला व्यक्ति, मरम्मत का कार्य करने वाला व्यक्ति, उधेड़ने का कार्य करने वाला व्यक्ति, प्रेस मैन, मशीन की सफाई करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

कटर, नपाई का कार्य करने वाले व्यक्ति, पायजामा/ कोट/ कमीज/ अचकन/ शेरवानी/ ब्लाउज/ लेडीज गाउन/ मैक्सी आदि सिलने का कार्य करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 49) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

चपरासी, चौकीदार, सफाई मजदूर, माली, हेल्पर, श्रमिक, सार्टर, सहायक लोहार, रिक्शा चालक/गाड़ीवान, पैकर, गेटकीपर, कुटाई और खरल करने वाला, खलासी, तौल वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

सहायक मशीन मैन, लोहार, सहायक प्रचारक, निर्माण सहायक, पैकर (जो दवाओं के साथ पर्ची इत्यादि की पैकिंग भी करता है), फायर मैन, सीनियर मददगार, प्लम्बर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, चेकर, बढई, डिस्पेंसर, प्रयोगशाला परिचर, पेन्टर, कम्पाउण्डर, बॉटल फिलर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

मशीन मैन, ड्राईवर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, फिटर, प्रचारक (कन्वेयर), पैकर, सुपरवाइजर, जूनियर केमिस्ट, फार्मसिस्ट, फोरमैन, शिफ्ट इंचार्ज, मुनीम, टाईम कीपर, टंकक, सहायक स्टोर कीपर, वैद्य, हकीम, रोकड़िया, लेखा लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, बिक्री प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 50) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

घपरासी, सुरक्षा गार्ड, सहायक वार मैन, गेम ब्याय, रूम ब्याय, मशालची, गेट मैन, सफाईकार, पेन्ट्री सहायक, लाउण्ड्री मैन, टेनिस ब्याय, क्लीनर, कहार, हैल्पर, मजदूर, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

रसोईया, तन्दूरिया, कन्फेक्शनर, हलवाई, बेकरी मैन, आर्डर सप्लाई करने वाला, कवाबसीक बनाने वाला, भेलपुरी वाला, खानसामा, कार चालक, शिफ्टमैन, सहायक विद्युतकार, प्रशिक्षण (तैराकी वाला), बार मैन, समोसे वाला, रोटी वाला, घपाती वाला, पूरी वाला, डोसा वाला, भाजी वाला, आइसक्रीम वाला, पेन्ट्री मैन, चाय/ काफी वाला, मार्केट मैन, फालूदा मेकर, शर्बत वाला, लस्सी वाला, अन्य वेटर्स, माली, वायर मैन, सहायक विलियर्ड कोच, सहायक टेनिस कोच और अन्य कोच और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

प्रधान रसोईया, प्रधान बैरा, प्रधान वेटर, बटलर, विद्युतकार, बढई, मुख्य प्रशिक्षक (तरण ताल), प्रधान बार मैन, हाउस कीपर, टेनिस कोच, विलियर्ड कोच, स्क्वैश कोच और अन्य कोच, बार प्रभारी, रसोई प्रभारी, मुख्य माली, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान लेखाकार, प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, स्टीवर्ड, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक, काउण्टर लिपिक, टंकक, स्वागतकर्ता, बिलमैन, सहायक स्टीवर्ड, टेलीफोन आपरेटर, खरीददार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 51) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण -

अकुशल:

घपरासी, चौकीदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

अर्द्धकुशल:

तनहरा, रिवाइन्डर (नली भरने वाला), बाबिन भरने वाला, विटाई और चारपाई का कार्य करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुशल:

नक्साबंद, गरुआ गोड़, जारदोनी, ड्राइंग मास्टर, मास्टर वीवर, बुनकर, खडारी वाला, रंगने वाला, पत्ती कटाई, गुल्लोफानी, तारकशी, गिट्टक हस्तकर्म, प्रधान लिपिक, प्रधान मुनीम, प्रधान रोकड़िया, प्रधान लेखाकार, आशुलिपिक, प्रधान स्टोर कीपर, लिपिक, टंकक, रोकड़िया, मुनीम, लेखाकार, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 52 से 54) के सम्मुख उल्लिखित नियोजन के सम्बन्ध में श्रेणीकरण -

अकुशल:

हैल्पर, पैकर, कटर, स्टैम्पर, मार्कर, तौलनेवाला, लैब ब्याय, लोडर, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेलावाला, स्पिनर (हैण्ड व्हील), चीफ वाइण्डर (हैण्ड व्हील), वेफ्ट बांविग वाइण्डर (हैण्ड व्हील), ब्लेन्डिंग मैन, जैगमैन, वाच एण्ड वार्ड/चौकीदार, मिलर (मैनुअल), हापरमैन, वूल स्कोरिंग मैन, सन ड्राइंग टैण्टरिंग मैन, रा-ऊलसार्टर, चपरासी, स्वच्छकार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कोई कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

भट्ठीवाला, ब्यायलर अटेंडेण्ट, सहायक फिटर, सहायक वेल्डर, सहायक टेस्टर, हिटण्डर, चीफ बाइन्डर (बाइन्डिंग मशीन), काप बाइण्डर (बाइन्डिंग मशीन), फैटलर, रंगसाज (डायर), मीलिंग मशीनमैन, हाइड्रोएक्स ट्रैक्टर मशीनमैन, रेजिंग मशीनमैन, वाशिंग मशीनमैन, माथ प्रूफिंग मैन, वेल्टमैन, लेबलर, रोटरी प्रेसमैन, आयलमैन, कार्डिंग मशीनमैन, फियर नाट मशीनमैन, कटर्स, वे-मैन, पकैया, सहायक आपरेटर, कढ़ाववाला, सेण्ट्रीफ्यूगल मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

सोप मिस्त्री, फिटर टेस्टर, वेल्डर, चार्जमैन, मशीन आपरेटर, ड्राइवर, बुनकर, ताना बनाने वाला (बारबर), रिंग फेम आपरेटर, कन्डेसरमैन, इंजन आपरेटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, लिपिक, गोदाम कीपर, टाइपिस्ट, सेल्समैन, लेखाकार, रोकड़िया, कनिष्ठ लिपिक, मुंशी, मुनीम, प्रधान मुनीम, प्रधान लेखाकार, मुख्य रोकड़िया, आशुलिपिक, ज्येष्ठ बिक्रीकर्ता, मुख्य लिपिक, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 55 से 56) के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण -

अकुशल:

पल्लेदार, मजदूर, सफाईकार, दलीनर, वेपट डिस्ट्रीब्यूटर, पानीवाला, थपरासी, धुलाईवाला, धोबी, गार्डनर, दलीपर, पैकर, हैल्पर सूत खोलने वाला वाइण्डर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

रफूगर, पावरलूम रिघर, थोअर, फिनिशिंग, मशीनमैन, थ्रेड साइजर, बैंक साइजर, फोल्डर, विघस्टर, दिवस्टर, चेकर, डिजाइन क्लॉथ कटर, ऑयल बेल्टर, लीचर, स्टाम्पर, ऑयलर, मार्कर, ब्यालर, वाटर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

फिटर, बढई, हैण्डलूम रिघर, डाइंग मास्टर, जाबर, इलेक्ट्रीशियन, फ्रंट साइजर, ड्रायर, वायरमैन, ब्यालर परिघर, सेल्समैन, मिस्ट्री, दर्जी, कार्ड कटर, वार्पर, बुनकर, गठनी करने वाला, मैनेजर, डिजाइन मास्टर, अभियन्ता, प्रधान मुनीम (जहाँ एक से अधिक मुनीम हों), प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, लिपिक, आशुलिपिक, टंकक, रोकड़िया, मुनीम, मुंशी और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 57) के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण-

अकुशल:

हैल्पर, अस्तरवाला, बखलवाला, घुण्डीवाला, कांचवाला, बघारवाली, बैच मिक्सर, कोयला डालने वाला, ठण्डी बत्ती वाला, पन्ती वाला, पिसाई वाला, पैकिंग प्रक्रिया से माल मिलाने वाला, पैकर, बवलर, ठण्डा, बावरी वाला, गेजमैन, भराई करने वाला कैरियर, रबर फास्ट, मोहर लगाने वाला, सांचे वाला, खर्सी वाला, सलाई वाला, पानी वाला, जाली वाला, कांच ढोने वाला, लीवर वाला, स्टैम्प सील, वासर, कुकर, सीलिंग हैल्पर, कैप लगाने वाला, बेकर, बफर, बैसर, चुनईया, बाल कूलर, बाल मेकर, स्टोर मैन, मजदूर, गेटमैन, कुली, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

गुल्लीवाला, लोम मैन, पहल वाला, गरम लोम वाला, घिसाई वाला, प्रास्टर, ग्राइन्डर, मोल्डर, वाटल जार स्टापर, फिलर मैन, ग्लास कटर, रूसा भट्ठी वाला, रूसा ग्लास सहायक, खरादी, ग्लोब कटर, मझला फोरमैन, बीडर, चेकर, ट्यूब

कटर, मिडिल मैन, बीडिंग राड खीचने वाला, गिनेथा सोल्डर, पॉलीशर, मिक्सर मैन, लोम देने वाला, लोम बनाने वाला, बेल्ट मैन, कम्प्रेसर मैन, क्लीनर, पल्लेदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

सीलर, एकजास्टर, एडजस्टर, माउन्टर, रिंग फिल्टर, स्टेम मेकर, सिकैया, फायर मैन, कापलिंग ओवन इंचार्ज, जेनरेटर इंचार्ज, इलेक्ट्रिक इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, मिक्सिंग इंचार्ज, फिनिशिंग इंचार्ज, इंचार्ज मिस्त्री, बत्ती वाला, मुट्ठी वाला, बेलन वाला, बत्ती लगाने वाला, जगाई वाला, झोकाई वाला, तारकस, मल्ला हैण्डलर, इनग्रेवर, ब्लोवर, फोरमैन, लोहार, मिस्त्री, बढई, खरादी, फिटर, फर्नेशमैन, हैण्ड वर्कर ड्रिलमैन, मोटर वाइण्डर, प्रेसमैन, ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, कनिष्ठ लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

परिशिष्ट-1 के (क्रमांक 58) के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण -

अकुशल:

मजदूर, चौकीदार, पहरेदार, चपरासी, सफाई मजदूर, हैल्पर, अटेन्डेन्ट और बिल्कुल अकुशल प्रकार का कार्य, जिसमें अनुभव या अर्हताओं की आवश्यकता न हो, करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

अर्द्धकुशल:

मोटर मेन्टीनेन्स के हेल्पर, स्विचबोर्ड अटेन्डेन्ट, वाटर पम्पों के अटेन्डेन्ट, आयलमैन, प्रेस मैन, कलेण्डर मैन, पल्प ब्वाय, पैकर, वाटमैन, वीटरमैन, कन्वेयर मैन, फायरमैन, कुकर मैन, वायर मैन, पल्प अटेन्डेन्ट, एम0जी0 पेपर अटेन्डेन्ट, गनमैन, पैकर मैन, और इसी प्रकार का अर्द्धकुशल कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

कुशल:

मशीन चलाने का ज्ञान रखने वाले मशीन आपरेटर, मशीनमैन, प्रथम श्रेणी का ब्वायलर सर्टिफिकेट रखने वाले ब्वायलर अटेन्डेन्ट, आई0टी0आई0 का प्रमाण-पत्र रखने वाले विद्युतकार, वीटरमेट, कुकरमेट, फिटर सोल्डर मैन, कारपेन्टर, कटर, फिनिशर, लेखालिपिक, आशुलिपिक, लेखाकार, गोदाम रक्षक, स्टोर पर्चेज आफिसर, टाइमकीपर, सेल्समैन, सुरक्षा अधिकारी, रोकड़िया (कैशियर) तथा इसी तरह का कुशल प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मकार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

**परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत 20 के सम्मुख उल्लिखित नियोजनों के सम्बन्ध में
श्रेणीकरण -**

अकुराल:

घपरासी, चौकीदार, बेलदार/घुनाईयाला, हैल्पर, फायरमैन, क्लीनर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कुराल:

ड्राईवर, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, रोकड़िया, प्रधान लिपिक, मुनीम, लेखाकार, लिपिक, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

आज्ञा से,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या- 194 / 36-03-2014 तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 28 जनवरी, 2014 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड ख) में प्रकाशित कर, अधिसूचना की 250 मुद्रित प्रतियों श्रम अनुभाग-3 बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ एवं 150 प्रतियों, श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर पत्र पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

✓ 2- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

3- एन0आई0सी0।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

दिनांक: 30.1.2014

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या 460-504/प्रवर्तन(एम0डब्लू)-2014,

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त.....को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
- 2-अनु सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ
- 3- उप श्रमायुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 4- उप श्रमायुक्त (पुरतकालय), मुख्यालय को सूचनार्थ/अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 5- उप श्रमायुक्त(नजारत), को नोटिस बोर्ड पर धरना करने हेतु।
- 6- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रवर्गशानार्थ।